Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Service Appeal No.- 34/2021

Jogendra Prasad ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	27.09.2023	**आदेश** प्रस्तुत सेवा अपील समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक–227/स्था0 दिनांक–15.02.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ये वर्ष–1990 में हल्का कर्मचारी के पद पर पूर्णिया जिला में सेवा देते रहे। जब ये श्रीनगर अंचल में पदस्थापित थे तब इनके द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, पूर्णिया के नामांतरण वाद सं0–64, 65, 66, 67, 69 एवं 70/2018 में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के आलोक में अंचलाधिकारी, श्रीनगर ने पत्रांक–611 दिनांक–20.07.2019 द्वारा समाहर्त्ता को प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके आलोक में समाहर्त्ता, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–816 दिनांक–31.07.2019 द्वारा इन्हें निलंबित करते हुए अंचल कार्यालय, बी0कोठी मुख्यालय निर्धारित किया गया। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए पहले अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया सदर को संचालन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, श्रीनगर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। बाद में अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में कुल–10 आरोप गठित किये गये जो इस प्रकार है :– (1) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के उक्त नामांतरण अपील में पारित आदेश के अनुपालन नहीं कर अंचलाधिकारी के आदेश की अवहेलना करना। (2) बुलाये जाने पर जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के वेश्म में मनबढ़ूपन दिखाते हुए उपस्थित नहीं हुए। (3) दैनिक समाचार पत्र भास्कर न्यूज में दिनांक–29.05.2019 को नजराना माँगे जाने का आरोप प्रकाशित है। (4) अनाधिकृत अनुपस्थिति। (5) भू–लगान वसूली में लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता। (6) अंचल कार्यालय, श्रीनगर ज्ञापांक–639 दिनांक–01.08.2019 द्वारा प्रभार सौंपने निदेश की अवहेलना। (7) नामांतरण वाद के निष्पादन में लापरवाही। (8) गलत मंशा एवं लाभ के लिए गलत प्रतिवेदन अंकित कर उच्चाधिकारी को गुमराह करने का प्रयास करना। (9) लोक शिकायत निवारण जैसे महत्वपूर्ण	

Web Copy, Not Official.

		मामले में बिना जाँच किये तथ्यहीन एवं मनगढ़ंत प्रतिवेदन समर्पित करना तथा (10)स्पष्टीकरण का जबाव नहीं देना, जो आदेश का उल्लंघन एवं स्वेच्छाचारिता क्रमशः	
	लगातार 27.09.2023	का द्योतक है। विभागीय कार्यवाही में इनके द्वारा अपने विरूद्ध आरोपों से इंकार करते हुए संचालन पदाधिकारी के समक्ष स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध किसी गवाहों के परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण किये बिना ही आरोप सं0–06 को छोड़कर सभी आरोप को प्रमाणित पाते हुए समाहर्त्ता, पूर्णिया को प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अपीलार्थी से द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गई जिसमें इनके द्वारा दिनांक–28.12.2020 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा इन्हें सुनवाई का बिना मौका दिये और इनके स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये अपीलार्थी को निम्नतर काल वेतन में अवनति का दंड अधिरोपित किया गया, जो न्यायोचित नहीं है। इनका आगे कथन है कि जिला समाहर्त्ता, पूर्णिया का पारित आदेश तथ्यों से परे है। अपीलार्थी द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक किया जाता रहा था। अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप बनावटी है। विभागीय कार्यवाही के समय एक भी साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया। इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर इन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्रथम आरोप के संबंध में इनका कहना है कि उत्तम लाल मंडल वगैरह के नाम पृथक जमाबंदी कायम थी। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, पूर्णिया द्वारा दिनांक–02.01.2019 को उपरोक्त सभी वादों में पृथक रूप से आदेश पारित किया गया था, जिसमें निम्न न्यायालय आदेश को निरस्त करते हुए अंचलाधिकारी, श्रीनगर को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया था। जिसके आलोक में अपीलार्थी द्वारा जमाबंदी सं0–889, 880, 881, 882, 886 एवं 879 पर रोक लगा दी गई। अंचलाधिकारी के मौखिक आदेश के आलोक में इनके द्वारा दिनांक–02.07.2019 को श्रीमति लतिका (परिचारिका) को प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के आदेशानुसार पूर्व की जमाबंदी को कायम रखने का आदेश पारित किया गया था किन्तु अंचलाधिकारी, श्रीनगर द्वारा मसो0 मीरा देवी के पक्ष में जमाबंदी सृजित करने का दबाव दिया जा रहा था। दूसरे आरोप के संबंध में इनका कहना है कि ये समाहर्त्ता के समक्ष उपस्थित हुए थे जिसमें अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश के आलोक में भू–लगान निर्धारण करने का आदेश दिया गया था। अपीलार्थी को पत्रांक–468 दिनांक–03.06.2019 उपलब्ध नहीं कराया गया है। पुनः जब इन्हें पत्र मिला दिनांक–07.05.2019 को इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। अपीलार्थी को चार विभिन्न प्रकार के हल्का का प्रभार था जिसकी व्यस्तता के कारण भू–लगान की वसूली प्रभावित हुई थी। उस दौरान इनका मोबाईल कभी भी बंद नहीं था। इन्हें दिनांक–23.07.2019 से 25.07.2019 तक खोज किये गये ये	

Web copy Not Official.

		अनुपस्थित पाये गये और दिनांक–25.07.2019 को कारण–पृच्छा का नोटिस प्राप्त कराया गया, जिससे यह आरोप स्वतः खंडित हो जाता है। इनके द्वारा वसूले गये भू–लगान नजारत में जमा किया गया किन्तु निलंबित हो जाने के कारण मात्र 64,820/– रूपया जमा नहीं किया जा सका। जो दिनांक– क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 27.09.2023	31.10.2019 को जमा हुआ। उनके द्वारा प्रमोद कुमार झा हल्का कर्मचारी को विभिन्न तिथियों में सभी प्रभार सौंप दिया गया था। नामांतरण वाद के लंबित रहने में अंचलाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है, साथ ही पक्षकारों का अपेक्षित सहयोग भी प्राप्त नहीं हो रहा था और यह आरोप अपीलार्थी से संबंधित नहीं है। नामांतरण वाद सं0–240/2019–20 में अंचलाधिकारी इनके प्रतिवेदन से असंतुष्ट थे तो उन्हें अपीलार्थी को पुनः निदेश दिया जाना चाहिए था अथवा उनके द्वारा स्वयं जाँच की जानी चाहिए थी। उक्त नामांतरण वाद में अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश निरस्त कर दिया गया। B.P.P.H.T. मामले में अंचल निरीक्षक से निम्नतर अधिकारी द्वारा स्थल जाँच नहीं किये जाने का प्रावधान है। इसमें अंचलाधिकारी द्वारा अपीलार्थी को निदेश दिया जाना नियम संगत नहीं है। जिसके लिए अंचलाधिकारी स्वयं दोषी है। आरोप सं0–10 भी गलत है क्योंकि इनके द्वारा ससमय कारण–पृच्छा समर्पित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा विभागीय कार्यवाही में साक्षियों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण नहीं कराया जाना दुषित प्रक्रिया है। अंचलाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी बनाया जाना नियम विरूद्ध है। समाहर्त्ता का आदेश सुविचारित और स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ स्थापना उप समाहर्त्ता ने पत्रांक–806 दिनांक–29.07.2022 द्वारा समाहर्त्ता, पूर्णिया का मंतव्य प्रतिवेदन समर्पित किया। जिसमें इनका कथन है कि प्रस्तुत अपील कालबाधित एवं तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। अपीलार्थी श्रीनगर अंचल कार्यालय में हल्का कर्मचारी के रूप में पदस्थापित रहते हुए अपने कर्त्तव्यों के दौरान नाना प्रकार की गलतियाँ करते हुए वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना किया जाता रहा है। इनके द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णिया के आदेश का अनुपालन नहीं करने के आलोक में इन्हें दिनांक–31.07.2019 को निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अपीलार्थी को निम्नतर कालमान वेतन में अवनति कर दंड अधिरोपित किया गया है। अपीलार्थी किसी भी अनुतोष पाने का हकदार नहीं है। इन्हें अपने मामले में पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। जिसका वे सही रूप से उपयोग नहीं किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सभी साक्ष्यों एवं दस्तावेजों की सम्यक् समीक्षोपरांत जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जिसमें नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों का पूर्णतः पालन किया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा पारित	

Web Copy Not Official.

	लगातार 27.09.2023	आदेश का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किये जाने पर प्रमोद कुमार झा के द्वारा किया गया है। अपीलार्थी को कभी भी मसो0 मीरा देवी के पक्ष में जमाबंदी सृजित करने को नहीं कहा गया है, बल्कि उनके द्वारा गलत मंशा से अनुमति प्राप्त की गई। इनके द्वारा दिनांक–12.06.2019 को पत्रांक–468 दिनांक–03.06.2019 को प्राप्त किया गया है। दिनांक–23.07.2019 से 25.07.2019 तक ये हल्का से अनुपस्थित रहे हैं, जबकि उक्त अवधि में उनके द्वारा भू–लगान क्रमशः वसूल किये हैं। उन्होंने भू–लगान वसूली में सही रूप से अभिरूचि नहीं ली है। अपीलार्थी दिनांक–21.07.2019 को निलंबित हुए हैं और गलत मंशा से तीन माह बाद 64,820/– रूपये जमा किया है। इनके द्वारा दिनांक–02.08.2019 से दिनांक–03.09.2019 के बीच प्रमोद कुमार झा को कोई प्रभार नहीं दिया गया है। अपीलार्थी के कंप्यूटर ज्ञान के आभाव में नामांतरण कार्रवाई लंबित रही है। इनके द्वारा कंप्यूटर प्रशिक्षण में कभी भी अभिरूचि नहीं ली गई। इनके द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा में कोई भी समुचित कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें कई सूचना भेजी गई किन्तु इनके द्वारा कोई जबाव नहीं दिया जाना इनके मनबढ़ूपन का द्योतक है। समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश स्थापित नियमों के अनुरूप है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने योग्य बताया गया। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में कुल 10 आरोप गठित है। उक्त आरोपों के आलोक में इनके विरूद्ध विधिवत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उल्लेखनीय है कि नामांतरण वाद सं0–368/2018–19 एवं अन्य में क्रेता का दखल नहीं रहने एवं भूमि विवादित रहने के फलस्वरूप पूर्व में नामांतरण अस्वीकृत किया गया था, किन्तु अपीलार्थी द्वारा गलत मंशा व लाभ के उद्देश्य से उक्त भूमि पर क्रेता का दखल–कब्जा दिखाते हुए नामांतरण वाद सं0–240/2019–20 में नामांतरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा किये जाने से स्पष्ट है कि इनके द्वारा गलत प्रतिवेदन अंकित कर उच्चाधिकारी को गुमराह करने का प्रयास किया गया। जिसे संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया है। संचालन पदाधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि आरोपी कर्मी के कारण–पृच्छा से भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा मूल जमाबंदी रैयत प्रसिद्ध नारायण का नाम काटकर मीरा देवी के नाम से जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत करने का आदेश माँगा गया जो नियमानुसार अनुचित था। जबकि मीरा देवी के नाम से रसीद निर्गत करने का आदेश किसी भी स्तर पर अपीलार्थी को प्राप्त नहीं था। इसके बावजूद अपीलार्थी द्वारा आदेश का गलत बहाना बनाकर अवैध रूप से प्रसिद्ध नारायण शर्मा की जमाबंदी सं0–53 मीरा देवी के नाम दर्ज करते हुए लगान रसीद सं0–302178 निर्गत किया जाना विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित द्वितीय स्पष्टीकरण में उन्होंने गैर अधिकृत व्यक्तियों से राजस्व जैसे विषयों का कार्य लेना स्वीकार किया गया है। समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा सभी साक्ष्यों एवं दस्तावेजों की सम्यक् समीक्षोपरांत अपीलार्थी के विरूद्ध अधिरोपित दंड समानुपातिक है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की	

Web Copy, Not Official.

		आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे निम्न न्यायालय आदेश खंडित हो सके। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए संपुष्ट किया जाता है। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.